



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228897
CG-DL-E-11082021-228897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2983]
No. 2983]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SRAVANA 19, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3214(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 की 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात् स्टील अथोरिटी आफ इंडिया (सेल), भिलाई, इस्पात संयंत्र, को भारत सरकार के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित श्रम मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 4076 तारीख 15 दिसम्बर, 1979 की प्रयोज्यता से उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिक के नियोजन के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-(i) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित हों;

(ii) ऐसे कर्मकार को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुसार और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं दी जाएं;

- (iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या कोई भिलाई इस्पात संयंत्र, स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और प्रसुविधाएँ दी जाती हैं;
- (iv) भिलाई इस्पात संयंत्र, स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकार को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों का अनुपालन में समाधानप्रद के अध्यक्षीन रहते हुए अंतर्गामी संविदाकार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जाएगा;
- (v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 4076, तारीख 15 दिसंबर, 1979 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म पर प्रासंगिक या आनुसंगिक नौकरी में कार्यरत कर्मकार कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अवधारित और समय-समय पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेंगे;
- (vi) प्रधान नियोक्ता के साथ-साथ संविदाकार उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी की, जो प्रत्येक छह मास में बढ़ती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे का भी संदाय सुनिश्चित करेगा;
- (vii) संविदा कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और
- (viii) संविदा कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी सहित बोनस और छुट्टी दी जाएगी।

[फा. सं. एस-16012/03/2017-एल.डब्ल्यू.(बी)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2021

S.O. 3214(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts Bhilai Steel Plant, Steel Authority of India Limited from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 4076, dated the 15th December, 1979, published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification against serial numbers 1 to 3, for a period of three years with effect from the date of publication of this notification, subject to the following conditions, namely:-

- (i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned works be protected;
- (ii) such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;
- (iii) the Central Advisory Contract Labour Board will have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in Bhilai Steel Plant, Steel Authority of India Limited and its subsidiary concerned;
- (iv) the management of Bhilai Steel Plant, Steel Authority of India Limited shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performance of duties;

- (v) the workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial number 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 4076, dated the 15th December, 1979 shall get wages as determined by the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited. Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited for time to time;
- (vi) the contractor, as well as the Principal Employer, shall ensure payment of the said High Powered Committee wages, which increases every six months, and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952(35 of 1952);
- (vii) the contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and
- (viii) the contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. S-16012/03/2017- L.W.(B)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.